मा संख्या--509

रजि.नं.एल.डब्लू./एन.पी.890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०--41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 1 नवम्बर, 2000

कार्तिक 10, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2449/सत्रह-वि0-1--1 (क) 26-2000

लखनऊ, 1 नवम्बर, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (अपव्यय का निवारण) (निरसन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2000) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (निरसन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) अधिनियम, 1962 का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (निरसन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 26 अगस्त, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 55 सन् 1976 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और उपान्तरित उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1962 का निरसन

2—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) अधिनियम, 1962 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

अध्यादेश का निरसन

3—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (निरसन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 2449 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-26-2000

Dated Lucknow, November 1, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Hindu Sarvjanik Dharmik Sanstha (Apvyaya Ka Nivaran) (Nirsan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 31 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 31, 2000 :—

THE UTTAR PRADESH HINDU RELIGIOUS INSTITUTIONS (PREVENTION OF DISSIPATION OF PROPERTIES) (REPEAL) ACT, 2000

(U. P. ACT NO. 31 OF 2000)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) Act, 1962

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Hindu Religious Institution (Prevention of Dissipation of Properties) (Repeal) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 26, 2000.

Repeal of U. P. Act no. 22 of 1962 as re-enacted and modified by U. P. Act no. 55 of 1975

2. The Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) Act, 1962 is hereby repealed.

Repeal of Ordinance

3. The Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Repeal) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

डी०एस०यू०पी०—यू०पी० 166 सा० विधा०—(2331)—2000—850 (जे०क०)।

(200)